

## MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY

## Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

Temp. Office: I.A.S./P.C.S. Coaching Centre, Near Prem Chand Park, Narmal Campus, Gorakhpur-273001

M vc@mggaugkp.ac.in ∰ www.mggaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

F	)	^	ŧ													
r	٦	Ħ	L			ı		ı	ı.		ı	L		ć	ı.	

Date: 26/08/22

463/NO/AUBA065/MGGAU/2022-2023

-: सम्बद्धता आदेश :--

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या—420/79—वि—1—20—1(क)—8—2020 लखनऊ दिनांक—12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या—76/79—वि0—1—21—2(क)—1—2021 दिनांक—09.01.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 की धारा-5(घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हारपीटल रिसर्च सेंटर, नमनपुर आगरा कालेज कोड-AUBA065 द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन पर गठित निरीक्षण समिति की आख्या दिनांक-06.08.2022 के आधार पर कार्य परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में सत्र 2021-2022 हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या (ई०डब्लू०एस० सहित)						
1	बी० ए० एम० एस०	100 सीट						

यूनानी 🗶 🍶 🥼

- 1. संस्था / महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों / निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2. संस्था / महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट पर ही तथा प्रवेश अनुमित के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नही किया जायेगा।
- 3. संस्था / महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश / विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों / निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
- 4. संस्था / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
- 5. संस्था / महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम / विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6. संस्था / महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों/ उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगें।
- 7. संस्था / महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर निर्गत किये गये मानकों / निर्देशों / आदेशों का अनुपालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सचना शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

कुलसचिव

रांख्या-

/ ₹10 / AUBA065 / MGGAU / 2022 - 2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 1.

- सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्मति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 2.
- अपर गुख्य सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 3.
- अपर मुख्य सचिव, आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। 4.

निदेशक, आयुर्वेदिक रोवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 5.

निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 6.

प्रधानाचार्य/संचालक/प्रबन्धक नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हारपीटल रिसर्च सेंटर, नमनपुर 7. आगरा।

निजी सचिव, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ। 8.

> (आर० बी० सिंह) कुलसचिव